संख्या-1/2020/सा0-398/38-2-2019-1बी/2012

प्रेषक,

अच्छे लाल सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 06 जनवरी, 2020**

विषय:- नवसृजित जनपद-हापुड़ के विकास भवन में मिट्टी भराव हेतु के अवशेष कार्य हेतु प्रशासकीय/ वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, हापुड़ के पत्रांक-697/नाजिर/विकास भवन/2019-20,दि.19.09.2019 एवं शासनादेश संख्या-सा0-442/38-2-2014-1बी/2012, दिनांक 22-08-2014,शासनादेश संख्या-19/2015 /सा0-629/38-2-2015-1बी/ 2012, दिनांक 27.11.2015, शासनादेश संख्या-15/2016/सा0-427/38-2-2016-1बी/ 2012, दिनांक 03.08.2016 तथा शासनादेश संख्या-सा0-13/2018/सा0-148/ 38-2-2018-1बी/2012, दि0 30.01.2018 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नवसृजित जनपद-हापुड़ के विकास भवन में मिट्टी भराव कार्य हेतु जिलाधिकारी, हापुड़ द्वारा प्रस्तावित लागत रू0 11.55 लाख के सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आकलित लागत रू0 6.82 लाख (रूपये छः लाख बयासी हजार मात्र) की श्री राज्यपाल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति भी प्रदान करते हैं :-

(1) वित्त विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22-03-2019 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा शासनादेश में दिये गये अन्य दिशा निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(2) ग्राम्य विकास विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0प्र0 लखनऊ एवं सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(4) प्रायोजना का निर्माण कार्य पुनरीक्षित स्वीकृत लागत में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। प्रायोजना का अब कोई भी पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।

(5) प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/मुख्य विकास अधिकारी, हापुड़ एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(6) आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही अवशेष कार्य कराये जायेंगे।

(7) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0प्र0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(8) निर्माण सम्बन्धी कार्यों हेतु निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत संगत शासनादेशों की व्यवस्थानुसार धनराशि का व्यय आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0प्र0, लखनऊ/विभाग में कार्यरत वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा, यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(10) उक्त कार्यों की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी।

(11) उक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा, जिस बाउचर संख्या एवं जिस तिथि को धनराशि कोषागार से आहरित की जाय, उसका विवरण महालेखाकार, उ0प्र0 एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं शासन को अविलम्ब प्रेषित किया जाय तथा धनराशि के पूर्ण उपयोग की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय। निर्माण कार्य के वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रतिमाह आयुक्त, ग्राम्य विकास को भेजी जाय।

(12) इस धनराशि का उपयोग उसी प्रकार किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा इसे अन्य कार्यों के लिए डाइवर्ट नहीं किया जायेगा, जैसे ही धनराशि का पूर्ण उपयोग हो जाय, उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रेषित कर दिया जाय।

(13) इस धनराशि से निष्पादित कराये जाने वाले कार्यों के लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के विवेकानुसार की जायेगी।

(14) इस शासनादेश में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन विभाग में कार्यरत वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे तथा यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि वे मामले की पूर्ण सूचना विवरण सहित शासन/वित्त विभाग को प्रेषित करेंगे।

(15) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु दी जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(16) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में जमा नहीं किया जायेगा।

(17) आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(18) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टयों की जिम्मेदारी आयुक्त,ग्राम्य विकास उ0प्र0,लखनऊ की होगी।

(19) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज नियमानुसार लिया जायेगा।

(20) पुनरीक्षित लागत में लेबर सेस की धनराशि नियमानुसार इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(21) आयुक्त, ग्राम्य विकास, सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था द्वारा ई-परियोजना प्रबन्धन वेबसाइट पर दर्ज परियोजनाओं की सूचना प्रत्येक माह अद्यतन किया जाय।

(22) मिट्टी भराव कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से मिट्टी भराव कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाय। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

(23) ग्राम्य विकास अनुभाग-2 के उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 22-08-2014, 27-11-2015, 03-08-2016 एवं 30-01-2018 तथा इस शासनादेश में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन विभाग में कार्यरत वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे तथा यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि वे मामले की पूर्ण सूचना विवरण सहित शासन/वित्त विभाग को प्रेषित करेंगे।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक-"4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-102-सामुदायिक विकास-03-जिला विकास कार्यालय भवनों का निर्माण तथा सामुदायिक विकास खण्ड कार्यालयों/केन्द्रों आदि के भवनों का निर्माण (जिला योजना)-24 वृहत्त निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

अच्छे लाल सिंह यादव
विशेष सचिव।

संख्या-1/2020/सा0-398(1)/38-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- अपर आयुक्त, (वित्त) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
3- जिलाधिकारी, हापुड़।
4- मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, हापुड़।
5- कोषाधिकारी, हापुड़।
6- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, हापुड़।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (बजट) अनुभाग-1/2
8- अधिशासी अभियन्ता यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट कारपोरेशन लि0, (पूर्ववर्ती-उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0) गाजियाबाद।
9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र मिश्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।